न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–190/2026

C.N.R.No.U.P.K.J.010003682026

दीपक कुमार उम्र 27 वर्ष लगभग पुत्र अरविन्द सिंह सेंगर निवासी चंदुआहार थाना इन्दरगढ़, हाल पता राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने शालू डिजिटल सेन्टर के उपर थाना तिर्वा, जिला कन्नौज। ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .... अभियोजन पक्ष

सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 282/2022
धारा–354 व 506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)(द) व 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना तिर्वा व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

09.03.2026

1. प्रार्थी/ अभियुक्त दीपक कुमार की ओर से विशेष सत्र परीक्षण सं0 282/2022 धारा 354 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(द) व 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना तिर्वा व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया है। न्यायालय के आदेश से अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। वादिनी को नोटिस तामील है।

2. प्रार्थी/ अभियुक्त दीपक कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से सोच समझकर लिखाई गयी है। वादिनी लॉकडाउन के समय उसके एक्स–रे सेन्टर पर स्वंय एक्स–रे हेतु आयी थी, जहॉ एक्स–रे होने के बाद पैसे कम जयादा होने की वजह से विवाद आपस में हुआ था। बस इसी रंजिश के कारण उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया है। उसने वादिनी के साथ कोई अश्लील हरकत नहीं की। जिस समय की घटना बतायी गयी है उस समय वादिनी का पति उसके साथ आया हुआ था। वादिनी द्वारा दोनों सगे भाईयों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, जो गलत है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा राजकुमारी पत्नी विनय कुमार जाटव ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि, वह शिक्षित तथा सीधी सादी महिला है। वह बीते कुछ दिनों से बीमार चल रही है और डॉक्टरो की सलाह पर दिनांक 20.05.2021 को समय करीब 11:00 बजे दिन को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा के सामने शालू डिजिटल व सादा एक्सरे कर रहे दीपक व कृष्णा मौजूद थे। दीपक ने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति आ सकता है और उसे अन्दर कर लिया और उसके पति को बाहर गेट पर खडा कर दिया और दीपक ने कहा कि कपडे उतार दो, तभी एक्सरा साफ आयेगा और जबरदस्ती उसके कपडे उतारने लगा। जब उसने मना किया तो उससे अश्लील

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.09 05:48:05 IST
Reason: Bail
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

हरकते करते हुए जमीन पर गिरा दिया और जबरदस्ती उसके मुंह पर हाथ रखकर बलात्कार करने का प्रयास किया तो वह चिल्लाई और उसके पति विनय कुमार व उसके पिता रामचरन ने जोर–जोर से दरवाजा खट–खटाया और शोरगुल किया तब तक आस–पास के दुकान दार भी आ गये। उक्त दीपक व कृष्णा उसे कार्यवाही करने पर जान से मार देने की धमकी देते हुए दरवाजा खोलकर भाग गये। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

5. वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना तिर्वा जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 325/2021 धारा 354 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण दीपक व कृष्णा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना मामले में अभियुक्त दीपक के विरूद्ध धारा 354 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप यह है कि उसने यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति की सदस्य हैं उसके साथ अश्लील हरकते की एवं उसे जान से मारने की धमकी दी तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दीपक कुमार की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O Code UP 1570